चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 10.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 12.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा श्रावण मास की अमावस्या मेला एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद में श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्वप्रथम रामघाट एवं परिक्रमा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़, आवागमन मार्ग, बैरिकेडिंग, पुलिस ड्यूटी प्वाइंट एवं भीड़ नियंत्रण व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा रामघाट स्थित मंदाकिनी नदी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का विशेष रूप से जायजा लिया गया तथा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग एवं सतर्क निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को नदी में निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करने एवं गहरे पानी की ओर न जाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए।

इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिक्रमा मार्ग का भ्रमण कर श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन एवं भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था देखी गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार करते हुए सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करने तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा रेलवे स्टेशन कर्वी का भी निरीक्षण किया गया। रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं की सतर्कता से चेकिंग करने, प्लेटफार्म एवं प्रवेश/निकास द्वारों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा रेलवे पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अमावस्या मेला एवं कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु रखी जाए तथा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार पैदल गश्त, प्रभावी बैरियरिंग एवं आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिसकर्मियों की पर्याप्त ड्यूटी लगाने तथा मेला क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि श्रावण मास अमावस्या मेला एवं कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट पर मुस्तैदी से तैनात रहकर आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा किसी भी अप्रिय स्थिति की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री प्रभास गुप्ता द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनाँक 12.08.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 100/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त लवकुश कुमार यादव पुत्र बुद्धविलास यादव निवासी भभई चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 4000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने नाबालिक के साथ कई बलात्कार व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव व उनकी टीम ने नाबालिक के साथ बार-बार बलात्कार व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.08.2026 को थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि उसकी नाबालिक पुत्री के पेट में दर्द होने पर उसने पेट दर्द की दबा खिलायी किन्तू बहुत तेज दर्द होने के कारण जिला अस्तपाल ले गया जहां पर उसकी पुत्री ने एक बच्चे को जन्म दिया। पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि दीपक साहू निवासी चकौंध थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा उसको प्रेम जाल में फसाकर कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये यह उसी का पुत्र जन्म लिया है एवं मेरी पुत्री को डराता धमकाता था कि घर पर मत बताना। इस

सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 487/26 धारा 64(2)M,351(3) बीएनएस, 5L/5J(2)/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 12.08.2026 को निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अभियुक्त दीपक साहू पुत्र राकेश निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव
2. आरक्षी इंदल कुमार

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट द्वारा एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 1600/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री रामसिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अवधेश व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 12.08.2026 को थाना रैपुरा

में पंजीकृत मु0अ0सं0 187/22 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर पुत्र राकेश निवासी बंधा मोड थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1600/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।